<table>
<tr>
<td>तारीख
हुक्म</td>
<td>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
श्री भवानी सिंह राठौड़, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी मैन जालोर रोड़
मोरिया तहसील रोहट जिला पाली (राज.)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
प्रथम सूचना अपील संख्या :– 25/2026
जीसीएमएस नं. :– 2026/40
(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</td>
<td>नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए</td>
</tr>
<tr>
<td>10.03.2026</td>
<td>

–: निर्णय :–

1. पत्रावली आज पेश हुई ।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार पाली से सम्बन्धित होने से कार्यालय हाजा के पत्रांक 1153 दिनांक 16.12.2025 द्वारा तहसीलदार पाली को अन्तरित की गई थी एवं उक्त संबंध में अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार पाली से संबंधित होने सें लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पाली को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

6. निर्णय आज दिनांक **10.03.2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली

</td>
<td></td>
</tr>
</table>